

न्यायालय: अपर सत्र न्यायाधीश—XIII, पटना।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—1018 / 2026
Digha थाना काण्ड सं0—138 / 2026.

02 / 04 / 2026.

आवेदक Poonam Devi, Ashish Kumar and Ayush Kumar के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित हुए। विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा केस डायरी की मांग कि गई।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध एवं उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदकगण के विरुद्ध दण्डात्मक / कठोर (Coercive) कार्यवाही पर रोक अगली तिथि तक लगायी जाती है। संबंधित विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में इस आदेश की प्रति भेजी जाय। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आवेदकगण के विरुद्ध दण्डात्मक / कठोर (Coercive) कार्यवाही पर रोक अगली तिथि तक लगाते हुए इसकी सूचना संबंधित थाना को दें।

अभिलेख दिनांक—13.04.2026 को सुनवाई हेतु प्रस्तुत करें।

लेखापित

sd/-

अपर सत्र न्यायाधीश—XIII,
पटना।